एक नजर में

सांवेर, खुड़ैल और गौतमपुरा से नाबालिग बच्चे हुए लापता

इंदौर. ग्रामीण क्षेत्र के अलग-अलग थाना इलाकों से नाबालिग बच्चों के लापता होने के मामले सामने आए हैं. सांवेर, खुड़ैल और गौतमपुरा पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है. कुछ मामलों में पुलिस ने अपहरण का प्रकरण भी दर्ज किया है. वहीं पहले से लापता बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दूसरे राज्यों तक भेजी जा रही हैं. खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के लापता होने की शिकायत उसके पति ने की है. पति ने आशंका जताई है कि उसकी पत्नी को किसी ने बंधक बनाकर रखा है. पुलिस शिकायत के आधार पर उसकी तलाश कर रही है. इधर सांवेर, खुड़ैल और गौतमपुरा क्षेत्र से नाबालिग बच्चों के लापता होने की अलग-अलग शिकायतें पुलिस को मिली हैं. बच्चों की उम्र कम होने के कारण पुलिस ने कुछ मामलों में अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की है. पुलिस आसपास के इलाकों में तलाश के साथ बच्चों के संभावित ठिकानों की जानकारी भी जुटा रही है. पुलिस पहले से लापता बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान भी चला रही है. इसके तहत अलग-अलग पुलिस टीमें बच्चों की जानकारी जुटाकर देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी तलाश कर रही हैं. पुलिस का फोकस नए मामलों के साथ पुराने गुमशुदा बच्चों को तलाशकर उन्हें परिवार तक पहुंचाने पर भी है.

चलती ट्रेनों में तीन यात्रियों के मोबाइल पर किया हाथ साफ

इंदौर. ट्रेनों में यात्रियों के सामान की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं. अलग-अलग ट्रेनों में सफर कर रहे तीन यात्रियों के मोबाइल चोरी हो गए. वारदात का पता यात्रियों को ट्रेन से उतरने या नींद खुलने के बाद चला. जीआरपी ने शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर आ रहे रेलवे कर्मचारी उत्तमकुमार धुर्वे पिता सोवतराम निवासी बिलासपुर ट्रेन में सो गए थे. इंदौर पहुंचने के बाद नींद खुली तो उनका मोबाइल गायब था. आसपास तलाश करने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने जीआरपी को सूचना दी. इसी तरह मालवा एक्सप्रेस में पंजाब निवासी हरविंदरसिंह का मोबाइल चोरी हो गया. वहीं इंदौर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में बड़वानी निवासी केशवप्रसाद धूलिया मोबाइल चोरी का शिकार हुए. इन दोनों मामलों में भी यात्रियों को मोबाइल चोरी होने की जानकारी बाद में मिली. जीआरपी पुलिस अब यात्रियों के सफर, सीट और घटनास्थल से जुड़ी जानकारी जुटाकर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. चलती ट्रेनों में यात्रियों के सोने के दौरान मोबाइल चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस आसपास बैठे संदिग्ध यात्रियों की जानकारी भी जुटा रही है.

पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौत

इंदौर. राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी पार करना 30 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया. सामने से आई ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर घायल हो गया. अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, राजेंद्र नगर निवासी 30 वर्षीय गोपाल प्रसाद पिता गोविंद तंवर रेलवे पटरी पार कर रहा था. इसी दौरान सामने से ट्रेन आ गई और वह उसकी चपेट में आ गया. हादसे में गोपाल गंभीर घायल हो गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. जीआरपी ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

नीम और बरगद आज भी दे रहे हैं 1857 की क्रांति की गवाही

एक ने बख्तावर सिंह को फांसी पर झूलते देखा तो दूसरे ने सआदत खान की कुर्बानी, पूछ रहे हैं आज, क्या जानती है नई पीढ़ी इनकी दास्तान?

धर्मेन्द्र सिंह चौहान

इंदौर. वक्त गुजरता गया... पीढ़ियां बदलती गईं, शहर की तस्वीर भी बदली, मगर इंदौर की सरजमीं पर खड़े ये दो पेड़ आज भी इतिहास के उस दौर को अपने भीतर समेटे हैं, जब 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी. एक नीम और दूसरा बरगद, इनके सामने आज एक यक्ष खड़ा है. वह इतिहास से सवाल करता है और फिर उसी सवाल को आज की पीढ़ी के सामने रख देता है. जिस आजादी में तुम आज सांस ले रहे हो, वह तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली... इसकी कीमत किसने चुकाई थी?

यक्ष का पहला सवाल नीम से है, तुमने क्या देखा था?

नीम जैसे अपनी शाखाएं हिलाकर 10 फरवरी 1858 के उस दिन में लौट जाता है. वह कहता है, मैंने अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह को यहां पर बेबस खड़े देखा था. क्योंकि उन्होंने पराधीनता स्वीकार करने के बजाय विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुना था. अपनी धरती और स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे. अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाया और मेरी ही एक डाल पर फांसी पर लटका दिया. उनके प्राण चले गए, लेकिन उनका संकल्प नहीं झुका. आज उसी शहादत की स्मृति में मेरे नीचे बख्तावर सिंह की प्रतिमा है. नीम अब भी वहीं है-मौन, लेकिन उस वीरता का साक्षी, उसकी शाखाएं जैसे आज भी याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता किसी उपहार से नहीं, संघर्ष और बलिदान से मिली थी. नीम से करीब दो किलोमीटर दूर बरगद खड़ा है. दूरी ज्यादा नहीं, मगर इन दोनों पेड़ों के बीच इतिहास का एक लंबा सफर है.

यक्ष अब बरगद के पास पहुंचता है और पूछता है—और तुमने क्या देखा?

बरगद की शाखाओं में जैसे बीते दौर की एक दर्दनाक दास्तान फिर जीवित हो उठती है. वह कहता है, मैंने सआदत खान को देखा था... वह शख्स जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद किया. रेसीडेंसी के विद्रोह के बाद वह लंबे अरसे तक अंग्रेजों की गिरफ्त से दूर रहे. आखिरकार पकड़े गए, मुकदमा चला और मेरी ही एक डाल पर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया. आज रेसीडेंसी परिसर में वही बरगद खड़ा है. उसके ठीक नीचे सआदत खान की याद में बना ओटला मौजूद है. शहर बदल गया, रास्ते बदल गए, लेकिन बरगद की शाखाओं में वह दास्तान अब भी महफूज है. दोनों पेड़ों की कहानियां अलग है, लेकिन दोनों के भीतर एक ही भावना है, गुलामी के खिलाफ खड़े होने का साहस.

अब सवाल जेन जी से...

यक्ष अब पेड़ों से नहीं, आज की पीढ़ी से सवाल करता है, सोशल मीडिया और रीलों की दुनिया में जी रही जेन-जी... क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी आजादी की राह में बख्तावर सिंह ने अपने प्राण और सआदत खान ने अपनी जान कुर्बान की थी? शायद इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं. वे तो सिर्फ सोशल मीडिया और रीलों की दुनिया में जी रहे हैं. और शायद यही उसे ही अपनी सबसे बड़ी विरासत मानते है, यक्ष कहता है, आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे पाने वालों की कहानी भी विरासत में मिलनी चाहिए.

जबरन नाम-पता पूछा, विरोध पर किया चाकू से हमला

इंदौर. बाणगंगा में बारिश से बचने के लिए छतरी लगाकर जा रहे युवक पर एक सिरफिरे ने पहले जबरन नाम-पता पूछकर विवाद किया और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया. हमलावर ने युवक के पेट, सिर और पैर पर वार किए. चीख-पुकार सुनकर पास मौजूद सब्जी विक्रेता ने बीच-बचाव कर हमलावर को दूर किया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला. प्रदीप अहिरवार ने पुलिस को बताया कि बीती रात वह अपने दोस्त जगदीश कुशवाह के साथ बाणगंगा स्थित वाइन शॉप के सामने बने सार्वजनिक शौचालय की ओर जा रहा था. बारिश हो रही थी, इसलिए प्रदीप ने छतरी ले रखी थी. इसी दौरान एक अनजान व्यक्ति अचानक उसकी छतरी के नीचे आकर खड़ा हो गया और उससे नाम-पता पूछने लगा. प्रदीप ने जब अनजान व्यक्ति को वहां से हटने के लिए कहा तो वह विवाद करने लगा. आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए धार्मिक टिप्पणियां भी कीं. प्रदीप ने विरोध किया तो आरोपी ने जेब से धारदार चाकू निकाला और उसके पेट के बाएं हिस्से पर वार कर दिया. इसके बाद सिर और बाएं पैर के पीछे भी चाकू से हमला किया. घायल प्रदीप चीखते हुए सड़क पर गिर पड़ा. चीख पुकार सुनकर पास में ठेला लगाने वाला सब्जी विक्रेता धर्मेंद्र दौड़कर पहुंचा. उसने हमलावर को धक्का देकर प्रदीप को बचाया. इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला.

महिला इंजीनियर द्वारा आत्महत्या के मामले में पति पर केस दर्ज : इंदौर. पलासिया क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की वरिष्ठ इंजीनियर आरती यादव की मौत के मामले में पुलिस ने उनके पति निलेश यादव को आरोपी बनाया है. करीब 20 दिन पहले सरकारी आवास में आत्महत्या की कोशिश करने वाली आरती ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था.

उम्रकैद की सजा काट रहे 11 कैदी समय पूर्व आज होंगे रिहा

इंदौर. स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय जेल इंदौर से 11 बंदियों के लिए आज जेल का दरबाजा खोल दिया जाएगा. आजीवन कारावास समेत विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे इन बंदियों को सजा के दौरान उनके अच्छे आचरण को देखते हुए जेल से रिहा किया जाएगा.

इनमें पति की हत्या के मामले में सजा काट रही झाबुआ की यावलीबाई और जमीन विवाद में हत्या के दोषी दो भाई भी शामिल हैं. रिहा होने वालों में मेघनगर, झाबुआ की यावलीबाई पति मांगीलाल है. वह पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही है. सरदारपुर के पवन पिता हारू और उसके भाई कैलाश को जमीन विवाद में हत्या के मामले में सजा हुई थी. ये भी अब जेल से बाहर आएंगे. इसके अलावा कसरावद (खरगोन) के कमल पिता चंदू बंजारा, जगजीवनराम नगर के संजू पिता गंगाराम, फिरोज गांधी नगर के श्यामलाल पिता रतन, वाल्मीकि नगर के नरेश उर्फ डब्बू पिता भगवानदीन, खजराना के रशीद पिता अब्दुल रऊफ, झाबुआ के बबल पिता रतन, मनावर के गणेश पिता गोविंद और चंदन नगर के गज्जू उर्फ गजेंद्र पिता रमेश माली भी रिहा होंगे. केंद्रीय जेल प्रशासन के अनुसार सभी बंदियों की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. स्वतंत्रता दिवस पर इन बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा.

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्याः U67190MH2008PLC187552

मांग नोटिस
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पढ़ा गया।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर, नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (सभी को एकवचन या सामूहिक रूप से "देनदार" कहा गया है)/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने के लिए कहा गया है। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक (AD) द्वारा भेजी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त देनदार/देनदारों के कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे संबंधित सूचना/सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर (TCHFL) को उनके नाम के आगे उल्लिखित राशि का भुगतान करें, साथ ही नीचे कॉलम (d) में उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक नीचे दिए गए ब्याज का भी भुगतान करें, जैसा कि ऋण समझौते और उक्त देनदार/देनदारों द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लिखित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के अनुसार देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, उक्त देनदार/देनदारों द्वारा (TCHFL) के पास निम्नलिखित गिरवी रखी गई संपत्तियां हैं।

ऋण खाता संख्या	देनदार(रों)/कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) का नाम खाता सं.	निम्न तिथियों पर कुल बकाया राशि रु.	डिमांड नोटिस और एनपीए की तिथि
10195452 & 9180120 & 9967886	श्री जगदीश सोनगरा (उधारकर्ता), श्रीमती प्रेमलता सोंगारा (सह-उधारकर्ता)	रु. 11,05,402/- और रु. 4,02,053/- और रू. 25,54,598/-	10.08.2026 और 07.08.2026
सुरक्षित एसेट/अचल संपत्ति/गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरणः संपत्ति 1:- यह अचल संपत्ति 'साई विलास' नाम की एक विकसित मल्टी-स्टोरी आवासीय इमारत में फ्लैट नंबर G-2 है, जिसका सुपर बिल्ट-अप एरिया 560 वर्ग फुट है। यह इमारत सिलिकॉन सिटी, इंदौर (गाँव निहालपुर मुंडी, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश) में प्लॉट नंबर A-243 पर बनी है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व में: रास्ता और फ्लैट नंबर G-1, पश्चिम में: दूसरा प्लॉट, उत्तर में: प्लॉट नंबर A-244, दक्षिण में: प्लॉट नंबर A-242। संपत्ति 2:- यह अचल आवासीय संपत्ति प्लॉट नंबर A-244 का दक्षिणी हिस्सा है, जिसका प्लॉट एरिया 875 वर्ग फुट (यानी 81.31 वर्ग मीटर) है। यह 'सिलिकॉन सिटी' नाम की विकसित आवासीय कॉलोनी (गाँव निहालपुर मुंडी, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: दूसरा प्लॉट, उत्तर में: प्लॉट नंबर A-244 का बाकी हिस्सा, दक्षिण में: प्लॉट नंबर A-243।			
TCHHL0284000100109570 & TCHIN0284000100113107	श्री सुधीर कुमार सेन (उधारकर्ता), श्री राम जी लाल (सह-उधारकर्ता)	रु. 2,99,248/- और रु. 38,287/-	07.08.2026 और 03.08.2026
सुरक्षित एसेट/अचल संपत्ति/गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरणः "प्रीमियम पार्क एक्सटेंशन - EWS फेज-2" नाम की बिल्डिंग की दूसरी मंज़िल पर स्थित फ्लैट नंबर 211; यह बिल्डिंग ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गाँव जखिया, तहसील सांवेर, ज़िला इंदौर में प्लॉट नंबर 179 पर बनी है। इस फ्लैट का सुपर बिल्ट-अप एरिया 295 वर्ग फुट है। सीमाएँः पूर्वः फ्लैट नंबर 210, पश्चिमः फ्लैट नंबर 212, उत्तरः पैसेज एरिया, दक्षिणः MOS एरिया।			

*उपरोक्त दिनांकित संबंधित मांग नोटिसों में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए खर्च भी शामिल होंगे। यदि उक्त देनदार उपरोक्त अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति/अचल संपत्ति के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के जोखिम पर कार्रवाई करेगा, जिसमें लागत और परिणाम भी शामिल होंगे।
उक्त अधिनियम के तहत उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति/अचल संपत्ति का हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया गया है। जो भी व्यक्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में सहायता करता है, वह अधिनियम के तहत निर्धारित कारावास और/या दंड का भागी होगा।

दिनांकः- 15.08.2026 — हस्ताक्षरित/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः- इंदौर — टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat
वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)
कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोनः 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछ है आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भौतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी / गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN20089HP23-24017859, श्रीमती लता कदम पत्नी श्री परसराम कदम (ऋणी/ बंधककर्ता), श्री परसराम कदम पुत्र अंबाराम (सहऋणी)	16-02-2026 Rs. 16,63,986.11 सोलह लाख तरेसठ हजार नौ सौ छियासी रुपए एवं ग्यारह पैसे मात्र, 12.02.2026 तक; भौतिक कब्जा 12.08.2026	श्रीमती लता कदम की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित सर्वे नं. 42/1/1, प्लॉट नं. 244 एवं प्लॉट नं. 245-बी, पटवारी हल्का नं. 37, ग्राम कालीबिलोद, तहसील- देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453001, क्षेत्रफल लगभग 600.00 वर्ग फीट	Rs. 14,53,500/- चौदह लाख तिरपन हजार पाँच सौ रुपये मात्र	Rs. 1,45,350/- एक लाख पैंतालीस हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र	Rs. 18,04,427.43 दिनांक 14-08-2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, 6th फ्लोर, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP24-25022914, श्री रतन सिंह बघेल (ऋणी), श्रीमती लंका बघेल (सहऋणी/ बंधककर्ता)	10-01-2026 Rs. 5,81,059.68 पांच लाख इक्यासी हजार उनसठ रुपए एवं अडसठ पैसे मात्र, 12.02.2026 तक; भौतिक कब्जा 12.08.2026	श्रीमती लंका बघेल की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित ओपन प्लॉट नं. 12, सर्वे नं. 35/2/1, पीएच. नं. 37, (पुराना), 80 (नया), ग्राम- कालीबिलोद, तहसील- देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453001, क्षेत्रफल लगभग 600.00 वर्ग फीट	Rs. 5,76,000/- पाँच लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र	Rs. 57,600/- सत्तावन हजार छः सौ रुपये मात्र	Rs. 6,57,663.90 दिनांक 14-08-2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, 6th फ्लोर, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017

नीलामी दिनांक 15.09.2026, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 11.09.2026, सांय 5:00 बजे तक, निरीक्षण की दिनांक एवं समय 10.09.2026 (कार्यालय समय मे)

निविदा की शर्तें :-
(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किऐ जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। (2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी। (4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
नोटः-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8(6) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।

दिनांकः 14-08-2026 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः इन्दौर, मप्र — वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्याः U67190MH2008PLC187552

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया।
उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, नीचे उल्लिखित सीसी संख्या में तहसीलदार के माध्यम से वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को भौतिक कब्जा सौंप दिया है।
ऋण लेने वाले को, विशेष रूप से, और आम जनता को, यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के लिए, ब्याज सहित, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, मांग नोटिस की तिथि से जब्त किया जाएगा। ऋण लेने वाले का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता संख्या	देनदार का नाम / कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि	मांग नोटिस के अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / भौतिक कब्जे की तिथि	आदेश दिनांक / सीसी नं.
TCHHF0284000100424288 & TCHIN0284000100425607	श्री कपिल राठौर (उधारकर्ता) और श्रीमती निर्मला राठौर (सह-उधारकर्ता)	रू. 11,25,747/- और रू. 38,228/-	03.02.2026 / 13.08.2026	08.07.2026 / केस नं. 0099 /बी- 121/ 2026-27
सुरक्षित एसेट्स/अचल संपत्तियों/गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरणः "फ़्लैट नंबर G-09, ग्राउंड फ़्लोर, P. हुकुमचंद मार्केट, म्युनिसिपल हाउस नंबर 252, (पुराना नंबर 245 (143 और 32)), इमली बाजार (सिरेमल बापना मार्ग) इंदौर। बिल्ट-अप एरिया 85.75 वर्ग फीट (यानी 7.99 वर्ग मीटर)। सीमाएँः पूर्वः फ़्लैट नंबर G-10, पश्चिमः फ़्लैट नंबर G-08, उत्तरः पैसेज (रास्ता) और उसके बाद हाउस नंबर 142, दक्षिणः हाउस नंबर 144"				
TCHHL0284000100366084 & TCHIN0284000100368003	श्री वीरेन्द्र पुत्र नंदलाल (उधारकर्ता) और श्रीमती विधा देवी श्री राहुल मारोठिया (सह-उधारकर्ता)	रू. 23,15,924/- और रू. 66,609/-	02.02.2026 / 14.08.2026	21.07.2026 / केस नं. 0015 /बी- 121/ 2026-27
सुरक्षित संपत्तियों / अचल संपत्तियों / गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरणः "सनराइज ट्विन्स" ब्लॉक-B की पहली मंज़िल पर स्थित यूनिट नंबर 102, जो प्लॉट नंबर 26, श्री कृष्ण एवेन्यू फेज-3, ग्राम लिंबोडी, तहसील और ज़िला इंदौर में बनी है। इसका बिल्ट-अप एरिया 713 वर्ग फीट (यानी 66.26 वर्ग मीटर) है। सीमाएँः पूर्वः यूनिट नंबर 101, पश्चिमः प्लॉट नंबर 25, उत्तरः यूनिट नंबर 103, दक्षिणः सड़क।"				

दिनांकः- 15.08.2026 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः- इंदौर — टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

IndusInd Bank — कॉर्पोरेट ऑफिस : इंडसइंड बैंक लिमिटेड, नं. 34, जी.एन. चेट्टी रोड़, चेन्नई-600017.
www.indusind.com फोन : 0442834600 28346301, फेक्स : 04428346312
ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के अंतर्गत अचल सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आम जनता को तथा विशेष रुप से उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता/जमानतदार को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड के सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 'जहां है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएगी। खाते का विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/जमानतदार का नाम	बकाया राशि	13(2) मांग सूचना की दिनांक	आधिपत्य की दिनांक	संपत्ति का विवरण	संपत्ति हेतु आरक्षित मूल्य	संपत्ति हेतु अग्रिम जमा राशि	नीलामी की तिथी एवं समय
1.	**ऋणी** - श्री मनीष पटेल पिता मदनलाल पटेल **सह-ऋणी** - श्रीमती सुनीता पटेल पति मनीष पटेल **लोन नं. IAC05172M**	**रु. 11,19,287/-** (रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार दो सौ सत्तासी मात्र) दिनांक 27/06/2025 तक	27/06/2025	09/01/2026	**सम्पत्तिः** ग्राम गोरवा प.ह.न. 19 (सरल नं. 2231) तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, म.प्र., सर्वे नं. 215/1/1/1 पैकि प्लॉट **क्षेत्रफल** - 460 वर्ग फीट	**रु. 9,50,000/-** (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र)	**रु. 95,000/-** (रुपये पंचानवें हजार मात्र)	31/08/2026 प्रातः 11.00 बजे से दोप. 2.00 बजे तक
2.	**ऋणी** - श्री वीरेन्द्र सिंह पिता विक्रम सिंह, **सह-ऋणी** - श्रीमती तम्मू कुंवर सिंह C/o बहादुर सिंह **जमानतदार** : श्री विक्रम सिंह पिता सुल्ता सिंह **लोन नं. IAC05137M & IAC05140M**	**रु. 12,89,318/-** (रुपये बारह लाख नवासी हजार तीन सौ अठारह मात्र) दिनांक 13/12/2022तक	13/12/2022	09/01/2026	**सम्पत्तिः** सर्वे नं. 602/1/मिन-2/1, श्री कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं. 03, सरल नं. 37, सोनकच्छ, जिला देवास, मध्यप्रदेश-455118 **क्षेत्रफलः** 782 वर्गफीट	**रु. 21,50,000/-** (रुपये इक्कीस लाख पचास मात्र)	**रु. 2,15,000/-** (रुपये दो लाख पन्द्रह हजार मात्र)	31/08/2026 प्रातः 11.00 बजे से दोप. 2.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें:
1. बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाईन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **https://www.indusind.com** या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध हैं।
2. **निविदा दस्तावेज जमा करने के साथ ही बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10% राशि ईएमडी के रूप में जमा करनी होगी तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 29.08.2026 को शाम 4:00 बजे तक है तथा न्यूनतम बोली वृद्धि राशि 10000/- (दस हजार रुपये) होगी।** बैंक ने आरक्षित मूल्य तथा उक्त उल्लिखित बयाना राशि (ईएमडी) तय कर दी है, इसे इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा। **संपर्क व्यक्तिः श्री राजीव चौकसे 8839904792.**
3. **सफल बोलीदाता** बिक्री मूल्य का 25% (बोली के साथ पहले से भुगतान की गई 10% राशि घटाकर) का भुगतान और जमा करेगा, यानी खरीदार को ई-नीलामी की तिथि पर बिक्री की पुष्टिहोने पर या अगले कार्य दिवस में शेष 15% का भुगतान करना होगा। इसके बाद बिक्री मूल्य की 75% शेष राशि सरफेसी अधिनियम के अनुसार बिक्री पुष्टिपत्र की तारीख से **15 दिनों** के भीतर जमा करना आवश्यक है।
4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रक्रिया को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक : 15.08.2026 — ह/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मध्य प्रदेश — इंडसइंड बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank CIN: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, आठवीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई -600031। दूरभाषः +914445644000, फैक्सः+914445644022
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) और 9 (1) का परंतुक देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के परंतुक के साथ पठित।
आम जनता को, विशेष रूप से कॉलम (iii) में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि कॉलम (iv) में वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक हैं और जिनका कब्जा पूर्व में IDFC बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें कॉलम (i) में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) से IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में IDFC बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को देय राशि की वसूली के लिए, नीचे वर्णित अनुसार "जैसा है, जहां है", "जैसा है, और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट www.idfcfirstbank.com पर दिए गए लिंक को देखें।
Online Property Survey

स. क्र.	(i) माँग सूचना राशि	(ii) अनुबंध आईडी	(iii) उधारकर्ता (ओं), सह-उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) का नाम	(iv) गिरवी संपत्ति का पता	(v) आरक्षित कीमत राशि	(vi) ईएमडी राशि	(vii) नीलामी की तिथि और समय	(viii) नीलामी की तिथि और समय अग्रिम जमा राशि	(ix) निरीक्षण की तिथि और समय	(x) अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर
1	रू. 4387393.00/- मांग सूचना दिनांकः 10-दिसंबर-2025	10174185851	ऑप्टिमा हेल्थ केयर, रुचिर बिहानी, रमेश बिहानी, ऋत्विक बिहानी और रमेश बिहानी सी/ओ ऑप्टिमा हेल्थ केयर	वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा फ़्लैट नं. 603 का, जिसका माप 168.68 वर्ग मीटर (सुपर बिल्ट-अप एरिया) है, जो बहु-मंजिला इमारत ब्लॉक "पाम" की छठी मंज़िल पर है, श्रीराम एन्क्लेव टाउनशिप की प्रेम शांति रेसिडेंसी में स्थित है; गाँवः कुमेदी, तहसीलः सांवेर, ज़िलाः इंदौर, मध्य प्रदेश-453555 में; और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्वः फ़्लैट नंबर 602 पाम, पश्चिमः खुला आसमान, उत्तरः कॉरिडोर और दक्षिणः खुला आसमान।	रूपये 5445000.00/-	रूपये 544500.00/-	22 सितम्बर 2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक	21 सितम्बर 2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक	16 सितम्बर 2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक	नाम-हिमांशु कथराय संपर्क नंबर- 9977798875 नाम-हेमंतकुमार नाग संपर्क नंबर- 9922185777

संपत्ति के स्थान और संपत्ति की छवियों के QR कोड

अस्वीकरणः कृपया ध्यान दें कि उक्त सूचना केवल अचल संपत्ति की बिक्री के लिए जारी की गई है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल संपत्ति में मौजूद किसी भी चल संपत्ति की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांकः 17.08.2026
स्थानः इन्दौर
(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लिमिटेडः क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर - 452001, फोनः 0731-6679182 / 6679152, 98260 81279, 99607 14961

सार्वजनिक सूचना (सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तामील न होने की स्थिति में जारी किया जायेगा
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन सूचना (सरफेसी अधिनियम)
1) श्री भरत चौधरी (ऋणी एवं बंधककर्ता)
2) श्रीमती अनामिका चौधरी (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)

पूर्वोक्त उधारकर्ताओं को सूचना दी जाती है कि पूर्वोक्त उधारकर्ताओं को बंधक ऋण (सामूहिक रूप से वित्तीय सहायता) के रूप में आईडीबीआई बैंक लि. (आईडीबीआई बैंक) द्वारा **रुपये 29,40,000.00 (रु. उनतीस लाख चालीस हजार मात्र)** की वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी. उक्त वित्तीय सहायता केसंबंध में आवश्यक ऋण और प्रतिभूति दस्तावेज **श्री भरत चौधरी एवं श्रीमती अनामिका चौधरी** द्वारा निष्पादित किए गए थे। बंधक द्वारा अन्य बातों केसाथ-साथ, निम्न वर्णित सम्पत्तियों केस्वत्व विलेख केजमा द्वारा उक्त वित्तीय सहायता को प्रतिभूतीकृत किया गया है. जैसा कि पूर्वोक्त उधारकर्ताओं ने दिनांक 20/01/2022, 23/02/2022 एवं 29/11/2022 के बंधक ऋण करार (रों) की शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता की चुकौती करने में चूक किए हैं जिससे उधारकर्ता का खाता, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के बही में गैर अनर्जक संपत्ति (एनपीए) में वर्गीकृत हो गया है. पूर्वोक्त उधारकर्ताओं के द्वारा किए गए चूक को देखते हुये, आईडीबीआई बैंक ने दिनांक 15/11/2025 के अपने पत्र संदर्भ सं. LRN13219907735025369 के माध्यम से स्पष्ट किया कि 10/09/2025 तक वित्तीय सहायता, ब्याज और अन्य के साथ कुल राशि **रुपये 28,81,924.00 (रु. अठाईस लाख इक्यासी हजार नौ सो चौबीस मात्र)** बकाया है और उधारकर्ता को तत्काल भुगतान करना है और उक्त पत्र में वर्णित संविदागत दर पर दिनांक 10/09/2025 से भुगतान या वसूली होने तक उस राशि पर ब्याज के साथ उक्त कुल राशि को आईडीबीआई बैंक में भुगतान करने केलिए उधारकर्ता को सूचित किया गया था। 10/09/2025 को **रुपये 28,81,924.00 (रु. अठाईस लाख इक्यासी हजार नौ सो चौबीस मात्र)** देय है और भुगतान या वसूली होने तक उस राशि पर संविदागत दर से ब्याज सहित राशि **श्री भरत चौधरी एवं श्रीमती अनामिका चौधरी** द्वारा आईडीबीआई बैंक को भुगतान करना है।
आईडीबीआई बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन आवश्यक सूचना उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) के संबन्धित पतों पर पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा जारी की गई थी जोकि डाक द्वारा पत्र पानेवाला बिना किसी निर्देश के चला गया लिखा गैर-तामील वापस मिला. उपर्युक्त को देखते हुए सरफेसी नियमावली के नियम 3(1) के अनुपालन में यह सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।
कृपया नोट करें कि आप कोई भी प्रतिभूत संपत्ति को आईडीबीआई बैंक से पूर्व में लिखित सहमति केबिना हस्तांतरण या अन्य रूप से (आपकेकारोबार में सामान्य कार्यवाही के अलावा) नहीं करेंगे जिसमें विफल होने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 29 केअधीन दंडात्मक अपराध के लिए आप जिम्मेदार होंगे।
हम प्रतिभूत संपत्ति को भुनाने केलिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते है।
इन परिस्थितियों में, उधारकर्ता(ओं) बंधककर्ता(ओं) से पुनः अनुरोध है कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान इस दिनांक से 60 दिनों के भीतर करें जिसमें असफल होने पर, आईडीबीआई बैंक, संरक्षित लेनदार केरूप में अपने बकाया की वसूली केलिए सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों केसाथ-साथ आईडीबीआई बैंक के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य क़ानून के अधीन प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के लिए हकदार होगा।

संपत्ति का ब्योरा
संपत्ति के सभी भाग जो प्लाट नं. 198 में स्थित है जमीन एवं भवन का पूरा भाग, मैनाश्री गीता श्री, ग्रीन सिटी कॉलोनी, वार्ड नं. 7 (सरल नं. 229), तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.) 455001, क्षेत्रफलः 72 वर्गमीटर (775 वर्गफीट), चर्तु:सीमाः उत्तरः कॉलोनी की सड़क, दक्षिणः प्लाट नं. 192, पूर्वः प्लाट नं. 199, पश्चिमः प्लाट नं. 197, जिस पर मौजूद और भविष्य में बनने वाली सभी ढांचों एवं निर्माणों के साथ।

स्थानः इन्दौर — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 15.08.2026 — एवं उप महाप्रबंधक, आईडीबीआई बैंक लि.